

in Rajshahi,
Campus
14-11-22

श्री प्रेमचंद
Thayer Dom.

अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 19(1)के अन्तर्गत:-

1. अपीलीय अधिकारी	श्रीमान ए. के. मिश्रा (कार्यकारी निदेशक) / अपीलीय अधिकारी, पावर ग्रिड करपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र -1,
2. अपीलीय अधिकारी का पता	पावर ग्रिड करपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र -1, क्षेत्रीय मुख्यालय, एससीओ बे संख्या: 5 से10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002
3. आवेदक का नाम	वी. के. गौड़
4. आवेदक का पूरा पता	म. नं. - सी -115, गली नं.- 8, कांती नागर एक्स., दिल्ली-110051
5. सूचना अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 6(1)के अन्तर्गत आवेदन करने का दिनांक व माध्यम	14 अक्टूबर-2022, ऑनलाइन पंजीकरण संख्या: PGCIL/R/E/22/00437 पावरग्रिड, उत्तरी क्षेत्र -1, क्षेत्रीय मुख्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)- 121001. (देखें संलग्नक-01)
6. सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत दी गई फीस	आर टी आई फीस रू.10/- एसबीआई रेफरेंस नंबर :CPACDDFNK7
7. लोकसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का उत्तर निर्गत करने का दिनांक	पत्र संदर्भ संख्या - पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आरटीआई/2174/4717 दिनांक:09/11/2022 प्राप्ति दिनांक-09/11/2022, माध्यम मेल द्वारा (देखें संलग्नक-02)

मांगी गई सूचना का विवरण जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने के संदर्भित :-

क्रम सं	मांगी गई सूचना का विवरण	जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी का विवरण
1.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में स्थित उपकेंद्रों में निर्मित आवासीय परिसर की श्रेणी क्रमशः (A,B,C,D & B1,B2,B3) आवासीय परिसरों की कुल संख्या का विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।	मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/मुख्य सूचना अधिकारी उत्तरी क्षेत्र प्रथम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुर्पयोग और जानबूझकर दी गयी सूचना आधारहीन, भ्रामक, मूल विषय के प्रतिकूल और मनगणत है।
2.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में ऐसे उपकेंद्रों का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें कि जहाँ वर्तमान में विभाग द्वारा आवासीय परिसर निर्मित नहीं करवाए गए हैं।	मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/मुख्य सूचना अधिकारी उत्तरी क्षेत्र प्रथम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुर्पयोग और जानबूझकर दी गयी सूचना आधारहीन, भ्रामक, मूल विषय के प्रतिकूल और मनगणत है।
3.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या एवं उनको श्रेणी सहित आवंटित विभागीय आवास का पूर्ण विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।	मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/मुख्य सूचना अधिकारी उत्तरी क्षेत्र प्रथम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुर्पयोग और जानबूझकर दी गयी सूचना आधारहीन, भ्रामक, मनगणत और आरटीआई एक्ट 2005 के नियम 8 (1) e के प्रतिकूल है।

पावरग्रिड/POWER GRID
11 NOV 2022
2969
पावर ग्रिड
फरीदाबाद

11/11/2022

4.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या जिन्हें श्रेणी सहित विभागीय आवास आवंटित अभी तक नहीं करवाया गया है तथा उन्हें 'एचआरए' / 'कंपनी लीज' के भुगतान का पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।	इस संदर्भित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।
----	---	---

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का कारण :- संलग्नक-01 में दिये गये विवरणानुसार मुख्य सूचना अधिकारी पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र प्रथम, एससीओ बे संख्या: 5 से 10, सेक्टर -16 ए, फरीदाबाद (हरियाणा)- 121002. को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत 14 अक्टूबर-2022, ऑनलाइन पंजीकरण संख्या: PGCIL/R/E/22/00437 में दिये गये विवरणानुसार को आवेदन किया गया, जिसके उत्तर स्वरूप दिनांक: 09/11/2022, मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/मुख्य सूचना अधिकारी (पावरग्रिड) का पत्र संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आरटीआई/2174/4717 दिनांक:09/11/2022 माध्यम मेल द्वारा पत्र संलग्नक -02 में दिये गये उत्तर स्वरूप दिनांक:09/11/2022 सन्दर्भ ग्रहण करें, क्योंकि इस पत्र में मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/मुख्य सूचना अधिकारी, (उत्तरी क्षेत्र प्रथम) द्वारा अपने पद और प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का दुर्पयोग कर तथा जानबूझकर सूचना आधारहीन, भ्रामक, मनगणत मूल विषय के तथ्यों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है।

मान्यवर जी से अनुरोध है कि कृपया अतिशीघ्र वांछित जानकारी उपलब्ध करावें तथा अधोहस्ताक्षरी को मूल विषय वस्तु से हटकर भ्रामक जानकारी देने के लिए मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना) उत्तरी क्षेत्र प्रथम / केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का श्रम करावें।

सधन्यवाद सहित,

भवदीय

 (वी.के.मीडा) 2022

दिनांक:11/11/2022.

Handwritten notes: "Received" and "09-11-2022" with a signature.

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड



(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121

Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2174/ 4717

दिनांक: 09.11.2022

सेवा में,

श्री वी. के. गौड़,
मकान न. सी-115, गली न. 8, कान्ती नगर एक्सटेंशन,
दिल्ली - 110051

विषय : आपके ऑनलाइन आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपका ऑनलाइन आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र पंजीकरण संख्या PGCIL/R/E/22/00347 दिनांक 14.10.2022 के संदर्भ में आपने आर. टी. आई पत्र दिनांक 13.10.2022 के अनुसार बिंदु न.1 से 4 तक की जानकारी चाही है, इस अनुसार आपको निम्न जानकारी दी जाती है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में स्थित उपकेंद्रों में निर्मित आवासीय परिसर की श्रेणी क्रमशः (A, B, C, D & B1, B2, B3) आवासीय परिसरों की कुल संख्या का विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।	बिंदु न. 1 से 4 तक मांगी गई जानकारी पावरग्रिड उ. क्षे.1 के आवासीय परिसरों एवं परिसरों के आबंटन से सम्बंधित है। आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार सम्बंधित प्राधिकारी को संतुष्टि होनी चाहिए कि जानकारी सार्वजनिक हित से सम्बंधित है।
2	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में ऐसे उपकेंद्रों का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें कि जहाँ वर्तमान में विभाग द्वारा आवासीय परिसर निर्मित नहीं करवाए गए हैं।	आपके द्वारा बिंदु 1 से 4 के द्वारा मांगी गई जानकारी कोई सार्वजनिक हित से सम्बंधित नहीं है बल्कि उ. क्षे.1 के कर्मचारियों से सम्बंधित है जो उन कि निजी जानकारी के दायरे में भी आता है।
3.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या एवं उनको श्रेणी सहित आर्टिफिल चिभागीय आवास का पूर्ण विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।	इसलिए उपरोक्तानुसार मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के नियम 8(1) (c) के तहत छुट प्राप्ति के दायरे में है इसलिए जानकारी नहीं दे सकते।

4.	पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या जिन्हे श्रेणी सहित विभागीय आवास आवंटित अभी तक नहीं करवाया गया है तथा उन्हें एच.आर.ए./कम्पनी लीज के भुगतान का पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।	
----	--	--

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण
श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बें. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय



[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र

प्रेषक:

वी. के. गौड़,
मकान नं. - सी-115, गली नं. - 8,
कान्ती नगर एक्सटेंशन,
दिल्ली - 110051.

प्रेषित:

मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ),
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, क्षेत्रीय मुख्यालय,
एससीओ-बे 5 -10, सेक्टर- 16-ए,
फरीदाबाद (हरियाणा)-122001.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन।


महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत नीचे लिखे प्रश्नों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

1. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में स्थित उपकेंद्रों में निर्मित आवासीय परिसर की श्रेणी क्रमशः (A,B,C,D & B1,B2,B3) आवासीय परिसरों की कुल संख्या का विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।
2. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम में ऐसे उपकेंद्रों का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें कि जहाँ वर्तमान में विभाग द्वारा आवासीय परिसर निर्मित नहीं करवाए गए हैं।
3. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या एवं उनको श्रेणी सहित आवंटित विभागीय आवास का पूर्ण विवरण प्रमाणित दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें।
4. पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र प्रथम के उपकेंद्रों में कार्यरत कार्यपालक/अकार्यपालकों की संख्या जिन्हें श्रेणी सहित विभागीय आवास आवंटित अभी तक नहीं करवाया गया है तथा उन्हें 'एचआरए'/'कंपनी लीज' के भुगतान का पूर्ण विवरण सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।

मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए शुल्क के रूप में नगद/ नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या :-
----- जारी करने की तारीख राशि के रूप में संलग्न है।

भवदीय-


(वी.के.गौड़)

दिनांक: 'गुरुवार' 13, अक्टूबर, 2022